अनुसूची– 14, फारम सं0 562

आदेश पत्रक

देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक – ता0 .... से .... तक

जिला पलामू, विविधवाद सं0 07 .... सन् 2021-22

केस का प्रकार :– दाखिल खारिज करने के संबंध में।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
25.02.2022	आवेदक सरयू ठाकुर पिता फिरंगी ठाकुर ग्राम महुअरी द्वारा पार्टीशन सूट न0 16/95 में पारित आदेश के आलोक में निम्न वर्णित भूमि में से 1/2 हिस्से का मांग खोलने का अनुरोध किया है।	

ग्राम	खाता	प्लौट	रकवा (एकड़ में)
महुअरी	2	97	0.41
महुअरी	2	98	0.04
महुअरी	2	166	0.13
महुअरी	2	167	0.72
महुअरी	2	177	0.15
महुअरी	2	190	0.29
महुअरी	2	191	0.03
महुअरी	2	206	0.06
महुअरी	2	207	0.12
महुअरी	2	233	3.91
महुअरी	2	244	0.23
महुअरी	2	185	0.24
महुअरी	4	176	0.04
महुअरी	4	184	0.27
महुअरी	4	192	0.37
महुअरी	4	193	0.02
महुअरी	4	246	0.37
महुअरी	40	230	0.67
कुल			8.07 ए0

तत्कालीन अंचल अधिकारी, द्वारा राजस्व कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई थी। राजस्व उपनिरीक्षक सह अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है जो कि अभिलेख में संलग्न है। राजस्व उपनिरीक्षक के प्रतिवेदन के आलोक में सभी पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई भी की गई थी परन्तु सुनवाई का स्पष्ट व्योरा अभिलेख में संलग्न नही है।

अनुसूची– 14 फारम सं0 562

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	अतः सभी पक्षों को अपने–अपने कागजात के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु पुनः नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 04.03.2022 को रखें। 23/02/22 अंचल अधिकारी, तरहसी।	
04.03.2022	अभिलेख उपस्थापित। सभी पक्ष उपस्थित होकर अपना अपना कागजात समर्पित किए। आवेदक सरयू ठाकुर द्वारा बताया गया कि आवेदित भूमि ग्राम महुअरी के खात संख्या 2, 4, 40 पर दखल दहानी हेतु Principal District Judge के न्यायालय में उनके द्वारा आवेदन दिया गया है जो लम्बित है पाटीशन सूट न0 16/95 के Final decree copy आवेदन के साथ अंचल कार्यालय में जमा है शिवकुमार मिश्र द्वारा अपना कागजात प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि बिनोद बिहारी मिश्र बड़े भाई है जबकि राधिका कुमारी बड़ी बहन है। राधिका कुमारी ने ग्राम महुअरी के खाता न0 4 प्लौट न0 176 रकवा 0.04 ए0 प्लौट न0 184 रकवा 0.14 ए0 प्लौट 192 रकवा 0.27 ए0 प्लौट 193 रकवा 0.02 ए0 प्लॉट 246 रकवा 0.18 ए0 कुल रकवा 0.65 ए0 देवन्ती कुवंर पति चन्द्रदेव हजाम से खरीद की थी जिसका जमाबंदी पेज न0 77/3 पर कायम हुआ। जिसपर दखल कब्जा रहते हुए मुन्द्रिका, तुलसी वो चन्द्रिका प्रजापति से बेच दिया। जयगोबिन्द पाठक पिता स्व0 पुरनचन्द पाठक द्वारा बताया गया कि खाता न0 02 की भूमि प्लौट 97, 98, 166, 167, 233, 144, 185 रकवा 2.10 ए0 केवाला द्वारा खरीदगी प्राप्त है। रसीद निर्गत है एवं दखल कब्जा भी है इजराय वाद मामला कोर्ट में लम्बित है। संजय पाठक पिता स्व0 श्याम बिहारी पाठक द्वारा बताया गया कि खाता संख्या 04 की भूमि का जमाबन्दी उनके नाम से कायम है दखल कब्जा भी है रसीद भी निर्गत हो रही है। भोलानाथ पाठक पिता स्व0 मुनेश्वर पाठक द्वारा भी अपने कागजात के साथ लिखित ब्यान दिया गया। अभिलेख आदेशार्थ दि० 11.03.2022 को रखें। 04/03/22 अंचल अधिकारी, तरहसी।	

सूची– 14 फारम सं0 562

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
11.03.2022	अभिलेख उपस्थापित। उपस्थित सभी पक्षों के विचारों को सूना उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों एवं राजस्व उपनिरीक्षक सह अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। राजस्व उपनिरीक्षक सह अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत कागजातों एवं उपलब्ध स्थानीय राजस्व कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि P.S.Case no 16/95 द्वारा आवेदक सरयू ठाकुर के पुर्वजों के नाम से ग्राम महुअरी के खाता न0 2, 4, 40 प्लॉट न0 97, 98, 166, 167, 177, 190, 191, 206, 207,233, 244, 185, 176, 184, 192, 193, 246, 230, कुल रकवा 8.07 ए0 में से 1/2 हिस्सा प्राप्त हुआ है। परन्तु वर्तमान मांगधारी उसमें पार्टी नहीं बनाए गए है। जिसके कारण उनके उत्तराधिकारी को सुचित करना आवश्यक है। अतः आवेदक सरयू ठाकुर एवं मांगधारी रैयत के वर्तमान उत्तराधिकारी 1. बिनोद बिहारी मिश्र वो शिवकुमार मिश्र पिता स्व0 बालेश्वर मिश्र 2. गोबिन्द पाठक पिता पुरनचन्द पाठक वो चन्द्रशेखर पाठक पिता पिता स्व0 हरिनन्दन पाठक 3. देवन्ती कुअंर पति चन्द्रदेव ठाकुर 4. भोला पाठक, शंकर पाठक वगै0 पिता मुनेश्वर पाठक 5. अनुप पाठक पिता दामोदर पाठक 6. मोहन पाठक पिता रामकेश्वर पाठक 7. संजय पाठक पिता श्यामबिहारी पाठक 8. राधिका कुमारी पिता स्व0 बालेश्वर मिश्र एवं 9. भोला पाठक पिता मुनेश्वर पाठक सभी को अपने–अपने कागजात दिखाने हेतु नोटिस निर्गत करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। पटीशन सूट 16/95 के अवलोकन से भी विदित होता है कि मांगधारियों को पार्टी नही बनाया गया। साथ ही तख्ता में दर्ज भूमि का मांग किनके मांग से घटा कर खोला जाय स्पष्ट नही है। आवेदक द्वारा स्वयं बताया गया है, कि आवेदित भूमि पर दखल दहानी हेतु मामला कोर्ट में लम्बित है। अन्य पक्षों के कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होतो है, कि Misc Case No 03/98 में Senior civil judge no 1 sanjay kumar no 1 द्वारा पारित आदेश में कहा गया है, कि Sale deed से प्राप्त भूमि पर P.S. no 16/95 के आदेश से प्रभावित नही हो सकता। अभिलेख में संलग्न Misc Appeal no 07/2014 में पार्टीशन सूट न0 16/95 के विरूद्ध पुरनचन्द पाठक वगै0 के द्वारा किए गए अपील को स्वीकार नही किया गया। विपक्षी भोलानाथ पाठक द्वारा आवेदित भूमि में से ग्राम महुअरी के खाता संख्या 02 प्लौट संख्या 97, 98, 166, 167, 233, 244, 185, रकवा 4.20 ए0 पर Civil judge senior Division no 1 के न्यायालय में Misc case no 15/2018 लम्बित रहने से संबंधि कागजात संलग्न किया है।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है, कि आवेदित भूमि पर न्यायालय द्वारा दखल दहानी नही कराई गई है। वर्तमान में आवेदित भूमि में से खाता संख्या 02 प्लौट संख्या 97, 98, 166, 167, 233, 244, 185, रकवा 4.20 ए0 का मामला Misc case no 15/2018 द्वारा कोर्ट में लम्बित है, तथा आवेदक द्वारा दा0 खा0 हेतु ऑनलाईन आवेदन भी नही किया गया है। अतः आवेदित भूमि के मांग खोलने संबंधि आदेश पारित करना न्यायोचित नही होगा। आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** 11/03/22 **अंचल अधिकारी,** **तरहसी।** 11/03/22 **अंचल अधिकारी,** **तरहसी।**	

Digitally signed by KEDAR NATH SINGH
Date: 2023.02.08 13:39:02 +05:30
Location: 192.168.53.68